न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 15/2016

श्री गोपाल लाल मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

1. नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन भाण्डावास जरिये खण्ड मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर।
3. सचिव ग्राम पंचायत टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर।

.....गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील गैर निगरानीकार सं. 2 व 3 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक 07.04.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 05.11.2012 को श्रीमति शीला गर्ग ए.एन.एम. टांकावास द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत टांकावास के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भाण्डावास में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु पट्टा जारी करने का निवेदन किया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बाद विधिवत कार्यवाही के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 60X70 अर्थात 4200 फीट भूमि का राजकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क पट्टा संख्या 25 दिनांक 05.11.2012 को जारी कर दिया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये विवादित पट्टे से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जो न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जबकि उक्त नियम के अन्तर्गत केवल कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया जा सकता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 नियम 158 में अंकित प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने यह भी कथन

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया कि पट्टे की शर्त संख्या 6 के अनुसार भूखण्ड केवल आवासीय प्रयोजनार्थ होगा किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है वह व्यक्ति न होकर एक संस्था है इस प्रकार पट्टे का प्रयोजन शर्त संख्या 6 के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रारूप 23 ग के तहत जारी किया गया है। इस नियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें पट्टा जारी करने के पश्चात् नीचे सीमांकन दिया गया है तथा सीमांकन के पश्चात् पुनः नीचे हस्ताक्षर सरपंच अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वह निर्धारित प्रारूप में नहीं होने से तथा उनके हस्ताक्षरों के पश्चात् भी सीमांकन आदि का अंकन नहीं होने तथा उसके पश्चात् पट्टा जारी करने के हस्ताक्षर पुनः जारी होने चाहिये वह नहीं होने से आक्षेपीय पट्टा विधिवत नहीं है। अधिनस्थ न्यायायल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा 60X70 = 466.66 वर्ग गज का है जबकि ग्राम पंचायत को 150 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा बिना जिला परिषद् से पुष्टि करवाये जारी किया है जबकि बिना जिला परिषद् से पुष्टि करवाये उन्हें सरकारी संस्था को पट्टा आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकार ग्राम भाण्डावास ग्राम पंचायत टांकावास का निवासी है एवं निगरानीकार के पंचायत क्षेत्र में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमों के विरूद्व आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। इस कारण वह व्यथित पक्षकार है तथा नियम विरूद्व किए गये आवंटन के विरूद्व चुनौती प्रदान कर सकता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि न्याय का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि पेटेन्ट इललीगल आदेशों को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं होती है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिये गये प्रावधानानुसार आक्षेपीय पट्टा विधिवत जारी किया गया है। उनका कथन है कि निगरानीकार को निगरानी प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है वह पीड़ित पक्षकार नहीं है। उनके द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के तहत निगरानी प्रस्तुत करने का विधिवत आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि निगरानीकार आदतन कब्जाधारी है, इसी भूमि बाबत् सिविल न्यायाधीश केकड़ी के न्यायालय में इनके द्वारा सिविल वाद भी प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 19.11.2015 को निरस्त किया जा चुका है। विवादित भूमि सरकारी भूमि है तथा राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये आक्षेपीय पट्टा आवंटित की गई है। अतः निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व दिनांक 19.11.2012 को आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निगरानीकार को उक्त पट्टे बाबत् यदि कोई व्यथा थी तो निर्धारित समयावधि में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते थे। हम वकील अप्रार्थीगण के इन कथनों से सहमत है कि निगरानीकार को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है वह पीड़ित पक्षकार नहीं है तथा न ही उनके द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के तहत निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जिसमें कोई अनियमितता उजागर नहीं हुई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 07.04.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner